

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,  
महालेखाकार, (ले. एवं ह.), बिहार  
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

/ पटना, दिनांक-

विषय:- तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना का नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, पटना के रूप में स्तरोन्नयन की तिथि (28.01.2004) के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेंशनादि के भुगतानार्थ स्वीकृत कुल रू. 3,61,60,000=00 (तीन करोड़ एकसठ लाख साठ हजार रुपये) मात्र के विरुद्ध द्वितीय किस्त में शेष राशि रू. 2,42,80,000=00 (दो करोड़ बेयालीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र का सहायक अनुदान पटना विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

**आदेश:- स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2008, दिनांक 06.06.2019 के द्वारा तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना का नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, पटना के रूप में स्तरोन्नयन की तिथि (28.01.2004) के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेंशनादि के भुगतानार्थ कुल रू. 3,61,60,000=00 (तीन करोड़ एकसठ लाख साठ हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा प्रथम किस्त में रू. 1,18,80,000=00 (एक करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र का सहायक अनुदान पटना विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेंशनादि के भुगतानार्थ स्वीकृत कुल रू. 3,61,60,000=00 (तीन करोड़ एकसठ लाख साठ हजार रुपये) मात्र के विरुद्ध द्वितीय किस्त में शेष राशि रू. 2,42,80,000=00 (दो करोड़ बेयालीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र का सहायक अनुदान पटना विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्य शीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 102-तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001- पटना विश्वविद्यालय" के अधीन 31 06 सहायक अनुदान -गैर वेतन विषयशीर्ष में प्रथम अनुपूरक सहित उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43-2203001020001 है।

4. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त.) (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

5. उक्त स्वीकृत राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा उसे CFMS प्रणाली से पटना विश्वविद्यालय, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. उक्त स्वीकृत अनुदानित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पटना विश्वविद्यालय, पटना द्वारा राज्य सरकार के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।



8. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) य<sup>1</sup>- 18/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) य<sup>1</sup>- 18/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) य<sup>1</sup>- 18/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कुल सचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना (registrar-pu-bih@nic.in)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि राशि की निकासी कोषागार से किये जाने के निमित्त उक्त राशि की पूर्व प्राप्ति रसीद (Pre-receipt Voucher) उप निदेशक (त.), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) य<sup>1</sup>- 18/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-निदेशक, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) य<sup>1</sup>- 18/2012-

3184

/पटना, दिनांक-

13.9.2019

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो0)/उप निदेशक (त.)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव